# मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग
## निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
**58 अरेरा हिल्स, भोपाल– 462 011**

अपील क्रमांक ए–97 / रासूआ / 09 / 2006 / नरसिंहपुर

श्री संजीव कटारे **अपीलकर्ता**
एडवोकेट,
रेल्व स्टेशन के पास, गाडरवारा,
जिला नरसिंहपुर

**विरूद्ध**

श्री राजेन्द्र सिंह, **लोक सूचना अधिकारी**
प्रबंधक,
विपणन प्रक्रिया सहकारी समिति मर्यादित
गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर

**(आदेश – 21 सितंबर, 2006)**

श्री संजीव कटारे, (अपीलकर्ता) ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने विपणन एवं प्रक्रिया सहकारी समिति गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर को एक आवेदन देकर कतिपय बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी जो उन्हें इस आधार पर कि '' सहकारी संस्थायें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नही आती है, '' नही दी गई ।

2. इस प्रकरण में निर्णय लेने के लिये मुख्य बिन्दु यह है कि क्या सहकारी संस्थायें सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एच) में लोक प्राधिकारी की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आती है या नही आती है । सहकारी संस्था के अधिवक्ता श्री ओ0पी0पाटीदार का यह कहना है कि यह सहकारी संस्था राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के व्दारा गठित नही की गई है, इसे राज्य शासन से वित्तीय पोषण भी प्राप्त नही होता है और यह संस्था न तो राज्य शासन के स्वामित्व में है और उनके व्दारा नियंत्रित है । इसलिए यह लोक प्राधिकारी की परिभाषा में नहीं आती है और इस पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार की सूचना देने का दायित्व नहीं है ।

3. इस प्रकरण में दिनांक 5 जुलाई, 2006 और 18 सितम्बर, 2006 को सुनवाई की गई थी । दिनांक 5 जुलाई, 2006 को सुनवाई के समय अपीलकर्ता उपस्थित हुये थे और दिनांक 18 सितम्बर, 2006 की सुनवाई के समय वह उपस्थित नहीं हुए । दिनांक 5 जुलाई, 2006 की सुनवाई के समय अपीलकर्ता ने यह बिन्दु उठाया था कि इस बात का क्या प्रमाण है कि सहकारी संस्था को राज्य शासन के व्दारा वित्तीय पोषण नही मिलता है । इसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी के अधिवक्ता ने एक पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें यह उल्लेख था कि इस संस्था को कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नही होती है । दूसरा बिन्दु अपीलकर्ता ने यह उठाया था कि इस संस्था के व्दारा कई विषयों की जानकारी अन्य व्यक्तियों को भी दी गई है इसलिये उन्हें अपीलकर्ता को सूचना देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । इस पर लोक सूचना अधिकारी के अधिवक्ता का यह कहना था कि संस्था के व्दारा जानकारी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत दी गई है ।

4. दिनांक 18 सितम्बर, 2006 को मुख्यतः सुनवाई इस विषय पर थी कि क्या सहकारी संस्था सूचना का अधिकार अधिनियम की परिधि में आती है अथवा नही नही आती है । लोक सूचना अधिकारी के अधिवक्ता एवं सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि का यह कहना था कि सहकारी संस्था उसी प्रकार की संस्था है जैसे रजिस्ट्रेशन आफ सोसायटीज के अन्तर्गत पंजीकृत की गई संस्था या इंडियन कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत की गई कंपनी होती है । इन दोनों अधिनियमों में और मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम में जो प्रावधान है वह पंजीकृत संस्थाओं को रेग्यूलेट करने के संबंध में है, वह इसे कन्ट्रोल नहीं करते हैं । इन संस्थाओं में कन्ट्रोल मैनेजिंग कमेटी के व्दारा या जो संचालक मंडल है, उनके द्वारा किया जाता है । इन संस्थाओं पर राज्य शासन का कोई कंट्रोल नहीं है । यह संस्थाएं म.प्र. को–आपरेटिव सोसायटीज़ एक्ट, 1960 से केवल रेगूलेट की जाती है । ऐसी स्थिति में जब तक कि राज्य शासन के व्दारा उन्हें वित्तीय पोषण नही मिलता है, तब तक वह सूचना का अधिकार अधिनियम की परिधि में नही आती है ।

5. इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम सहकारी संस्थाओं को रेग्यूलेट करता है या उसके व्दारा राज्य शासन इन संस्थाओं में कन्ट्रोल स्थापित करता है । स्पष्टतः सामान्य परिस्थितियों में सहकारी संस्थाओं की कार्यवाही का संचालन एवं नियंत्रण सहकारी संस्थाओं के सदस्यों के व्दारा स्थापित संचालक मडल के व्दारा किया जाता है और दिन प्रतिदिन के कार्यो में राज्य शासन का कोई हस्तक्षेप नही होता है । मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत जो प्रावधान किये गये है उससे सहकारी संस्था संबंधी कार्यकलाप रेग्यूलेट होते है इसलिये जब तक किसी सहकारी संस्था को राज्य शासन के व्दारा वित्तीय पोषण, अंशपूजी, ऋण, बैंक गारंटी, या अनुदान के रूप में नही किया जाता है या जब तक कि संबंधित सहकारी संस्था में राज्य शासन का स्वामित्व या नियंत्रण नही होता है, तब तक उसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते हैं ।

6. इस सहकारी संस्था को लोक सूचना अधिकारी के अनुसार कोई वित्तीय पोषण प्राप्त नही होता है इसलिये यह संस्था सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती है । ऐसी परिस्थिति में अपीलकर्ता के व्दारा जो सूचना मांगी गई है, वह नहीं प्रदान की जा सकती है । अतः यह अपील निरस्त की जाती है

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त